जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-18.04.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई 02 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 15000 रुपये ,अवैध तमंचा व कारतूस बरामद व अन्य 02 अभियुक्त को अन्य स्थान से चोरी की घटना से सम्बन्धित नगदी, तांबा व चोरी की घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 26.03.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा नदी पुल जंगल ग्राम बलवा से अज्ञात चोरों द्वारा जरनेटर के अल्टीनेटर, एक पानी की मोटर व 02 बैटरी चोरी कर ली गई थी तथा दिनांक 14/15.04.2025 को मकराना टाईल्स कैराना रोड पर खडे ट्रक मे से 84,500 रुपये चोरी करने की घटना की गई थी। जिसके के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। उपरोक्त दोनों चोरी की घटनाओं की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 शातिर अभियुक्त को बलवा बाईपास के पास नजदीकी ओमवीर निवासी लिलौन के ईख के खेत के पास से पुलिस मुठभेड में पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थं की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित 15000 रुपये नगद व अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है तथा उपरोक्त चोरी की घटनाओं में 02 अन्य अभियुक्तगण को सिम्भालका बाईपास से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 11,000 रुपये की नगदी व 07 किग्रा0 तांबा व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक की जा रही है।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त सतीश ने बताया कि मै, पिन्टु राजपूत और अशोक पुत्र नामालूम निवासी ग्राम ज्ञासपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद बुलन्दशहर हम तीनो दोस्त हैं। हम तीनो के पास कोई नौकरी नहीं है तीनो दोस्त मेरी वैगनआर गाडी नं0 DL12CC1739 से दूर दूर जाते थे और मौका देखकर चोरी कर लेते थे। उसी तरह दिनांकः 14.04.2025 की रात में हम तीनो मेरी गाडी से शामली आये थे और कैराना रोड पर हम एक ट्रक वाले से घुल मिल गये और बातो बातों में हमने पता कर लिया कि वो माल उतारकर आया था। हमें पूरा यकीन था कि उसका पास रुपये जरुर मिलेंगे और हम उसके ट्रक से थोडा सा अलग जाकर अपनी गाडी को साइड में खडी करके उस ट्रक ड्राईवर के सोने का इंतजार करने लगे और उसके सोते ही हमने उसके ट्रक के केबिन का शीशा हटाकर अन्दर घुसकर केबिन में रखे बैग में रखे 60 हजार रुपये और उसका मोबाइल चोरी कर लिया था और उसी रात हमने 9 हजार रुपये खर्च कर दिये थे। उसके बाद हम तीनो ने बचे हुए रुपये बांट लिये थे जो मेरे पास 5000 रुपये व पिंटू के पास 6000 रुपये बचे थे मोबाइल अशोक के पास है। हम तीनों ने करीब 20/22 दिन पहले गांव कुडाना में पुल के पास रखे दो जनरेटर से तांबा और बैटरी की चोरी करी थी। बैटरी और थोडा सा तांबा हमने चलते फिरते कबाडी को बेच दिये थे, बेचकर जो रुपये हमे मिले थे वो हम ने खाने पीने में खर्च कर लिये हैं, जो तांबा मेरी गाडी से मिला है वो वही चोरी किया गया बचा हुआ तांबा है। दोनों ने बताया की यह काम आर्थिक स्थिति की पूर्ति करने के लिए करते है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अशोक पुत्र मेघसिह निवासी ग्राम ग्यासपुर की मडईया थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।(घायल)

2.सतीश पुत्र प्यारेलाल निवासी मौहल्ला शेखसराय बड के नीचे थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी बाईपास राधा नगर धर्मकांटे के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3.पिंटु राजपूत पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला शेखसराय बड के नीचे थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी मौहल्ला रमपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशोक उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 160/2025 धारा 303(2),317(2), बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 187/2025 धारा 305बी,331(4),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0स0 22/2020 धारा 328,379 भादवि थाना गवाना जनपद अलीगढ़।

4.मु0अ0सं0 19/22 धारा 328,379 भादवि थाना गोधा जनपद अलीगढ़।

5.मु0अ0सं0 262/23 धारा 328,379 भादवि थाना जवां जनपद अलीगढ़।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त सतीश उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0स0 160/2025 धारा 303(2),317(2), बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 187/2025 धारा 305बी,331(4),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त पिंटू राजपूत उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0स0 160/2025 धारा 303(2),317(2), बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 187/2025 धारा 305बी,331(4),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी की घटना से सम्बन्धित 15000 रुपये बरामद। (अभियुक्त अशोक)

2.अवैध 01 तमंचे 315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद। (अभियुक्त अशोक)

3.चोरी की घटना से सम्बन्धित 11000 रुपये (अभियुक्तगण सतीश व पिंटु)

4.तांबे का तार 07 किग्रा (अभियुक्तगण सतीश व पिंटु)

5.चोरी की घटना में प्रयुक्त वैगनआर रजिस्ट्रेशन नं0 DL12CC1739। (अभियुक्तगण सतीश व पिंटु)

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.प्र0नि0 श्री वीरेन्द्र कसाना थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री कृष्ण सागवान थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.है0का0 रोहित कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

4.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली जनपद शामली

5.है0का0 अंकुर थाना कोतवाली जनपद शामली।

6.का0 अंकित मावी थाना कोतवाली जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

वर्ष 1995 में अभियुक्त ऋषिपाल पुत्र रामभज निवासी वार्ड न0 18 थाना माडल टाऊन जनपद पानीपत के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 664/24 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 18.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।